

कार्यालय, कलेक्टर राजनांदगांव (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/ 520 /वित्त स्था./2017

राजनांदगांव, दिनांक 18/01/2017

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ 2-38/सात-2/2016 नया रायपुर दिनांक 08.09.2016 द्वारा सहायक ग्रेड-3 के 21 रिक्त पदों के लिये सीधी भर्ती हेतु अनुमति प्रदान किया गया है। तत्संबंध में दिनांक 22.09.2016 को उक्त पदों के सीधी भर्ती हेतु वर्गवार/आरक्षण अनुसार विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया। चयन समिति की अनुशंसा एवं कलेक्टर महोदय के अनुमोदनोपरांत निम्न अनुसूची के अभ्यर्थियों को सहायक ग्रेड-3 पद पर वेतनमान रु. 5200-20200/- + ग्रेड वेतन 1900/- रुपये प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता पर अस्थायी रूप से नियुक्त कर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	अभ्यर्थी के निवास का पता	अभ्यर्थी के चयन का वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4	5
1	सुश्री दीपमाला गौतम पिता श्री कवल सिंह गौतम (अनारक्षित)	बजरंगपुर नवांगांव, वार्ड नं.-2, अवन्ति बाई चौक, जिला-राजनांदगांव	अनारक्षित	जिला कार्यालय राजनांदगांव
2	श्री गुलशन कुमार पिता श्री संतोष कुमार (अ.पि.व.)	वार्ड नंबर-1, आजाद चौक, ग्राम व पोस्ट-सुरसाबांधा, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद, पिन-493885	निःशक्तजन (श्रवण बाधित)	जिला कार्यालय राजनांदगांव
3	श्री सुनील कुमार शर्मा पिता श्री शंभुनाथ शर्मा (अनारक्षित)	प्लॉट नं.-83, मानस कुटीर, दयानगर, रिसाली, भिलाई, पिन नं.-49006	अनारक्षित	जिला कार्यालय राजनांदगांव
4	सुश्री निशा देशमुख पिता श्री रोहित देशमुख (अ.पि.व.)	स्टेशन रोड, मरारपारा, वार्ड नंबर-19, बालोद	अनारक्षित	जिला कार्यालय राजनांदगांव
5	श्री डैनी कुमार पिता श्री जैतराम (अ.जा.)	ग्राम-पचरी, पोस्ट-कटनई, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा, पिन-495552	अनारक्षित	उप तहसील कार्यालय घुमका (राजनांदगांव)
6	श्री शुभम शर्मा पिता श्री अम्बिका प्रसाद शर्मा (अनारक्षित)	शिवोम विद्यापीठ स्कूल के पास गणपति नगर नया चंगोरा भाठा रायपुर छ.ग.	अनारक्षित	तहसील कार्यालय राजनांदगांव
7	श्री चंद्रेश कुमार साहू पिता श्री पंचराम साहू (अ.पि.व.)	ग्राम कपसदा थाना व पो. धरसीवां व्हाया बीरगांव जिला रायपुर पिन न. 493221	अनारक्षित	तहसील कार्यालय छुरिया

क्र.	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	अभ्यर्थी के निवास का पता	अभ्यर्थी के चयन का वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4	5
8	श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता श्री ओलेश्वर प्रसाद कौशिक (अ.पि.व.)	ग्राम बनडभरा, पोष्ट सेमरिया, तह. बम्हनीडीह, जिला जांजगीर चांपा 495661	अनारक्षित	तहसील कार्यालय मोहला
9	श्री परमानंद साहू पिता श्री बनऊराम साहू (अ.पि.व.)	नया थाना, भिलाई-3 के पास, राजू काम्लेक्स, बाल विकास परियोजना भिलाई-2, जिला दुर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	तहसील कार्यालय मानपुर
10	लोकेश चन्द्रवंशी पिता श्री राधेलाल चन्द्रवंशी	ग्राम-केसली, पोस्ट-गुदा, जिला कबीरधाम, पिन-491995	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय खैरागढ़
11	श्री राजेन्द्र कुमार पिता श्री संतराम मिरी (अ.ज.जा.)	ग्राम व पोष्ट कुरदा, तह. चांपा, जिला-जांजगीर चांपा	अ.ज.जा.	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मोहला
12	श्री मोनेष कुमार ध्रुव पिता श्री जगराम ध्रुव (अ.ज.जा.)	ग्राम-छरदेद, पोस्ट पीसिद, तहसील व थाना-कसडोल, जिला बलौदाबाजार	अ.ज.जा.	तहसील कार्यालय मोहला
13	श्री हितेश कुमार चन्द्रवंशी पिता श्री गजानंद सिरदार (अ.ज.जा.)	जोधसिंग कालोनी, खैरागढ़ रोड, वार्ड नं. 02, नाकापारा डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव 491445	अ.ज.जा.	अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय डोंगरगढ़

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- (1) यह नियुक्ति पूर्णतः प्राविधिक है। जांच के किसी भी प्रक्रिया में यदि पाया जाता है कि संबंधित नियुक्त व्यक्ति उक्त पद हेतु पात्रता नहीं रखता है, अथवा गलत जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त किया गया है, तो कभी भी बिना कारण बताये नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम-1960 के नियम-12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
- (3) उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों पर देय रकम संबंधित से भू-राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- (4) नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों छ.ग.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन रहेंगे।
- (5) संबंधित कर्मचारी की सेवायें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगी, तथा इस मध्य कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकती है, अथवा सेवा से पृथक करने पर विचार किया जा सकता है। सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
- (6) प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
- (7) संबंधित अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र (स्वास्थ्य प्रमाण पत्र) सेवा में पदभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में उपस्थिति मान्य नहीं किया जावेगा।

- (8) नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- (9) उपरोक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिवस के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित 30 दिवस के भीतर उपस्थिति नहीं देने पर यह माना जायेगा कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते हैं, उनकी नियुक्ति निरस्त हो जावेगी। किसी भी स्थिति में समयवृद्धि का लाभ नहीं दिया जावेगा।
- (10) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय आपको निम्नांकित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित एक फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-
- (अ) शैक्षणिक योग्यता एवं आयु के साक्ष्य हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र अथवा अंकसूची।
- (ब) उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण अन्तर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र) साथ ही क्रीमी-लेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग अन्तर्गत आवेदित अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
- (स) छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र।
- (द) रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- (इ) स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण-पत्र।
- (फ) वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी त्याग-पत्र की स्वीकृति एवं प्रभार मुक्ति पत्र (वर्तमान में सेवारत अभ्यर्थियों हेतु मात्र)
- (11) उपस्थिति के समय छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। उपस्थिति के समय जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपस्थिति दिनांक से 30 दिन का समय दिया जावेगा। उसके पश्चात् भी उम्मीदवार द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।
- (12) पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण-पत्र में यदि आपराधिक गतिविधियां पाई जाती हैं तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप प्रस्तुत करें।
- (13) आरक्षित प्रवर्ग-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो बिना किसी पूर्व सूचना दिये बगैर सेवा से पृथक किया जावेगा तथा संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।
- (14) सेवा अवधि के दौरान किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे, और न ही किसी राजनैतिक क्रिया-कलाप में भाग लेंगे।
- (15) नवनियुक्त शासकीय सेवक हेतु शासन के आदेशानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- (16) संबंधित के लिये छ.ग.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 बंधनकारी होगा तथा शासन व प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेश-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (17) यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

कलेक्टर,
जिला-समजांदगांव (छ.ग.)